तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.107/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
21.7.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी पूनाराम कुम्हार पुत्र वीराराम कुम्हार, निवासी– चौपावली वास, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भाई मन्नाराम देवाजी, मेन बाजार, शिवगंज, जिला– सिरोही उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध तत्कालीन आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रमेश सैनी (हाल– सेवानिवृत) द्वारा दिनांक 04.7.2022 को फर्म भाई मन्नाराम देवाजी, मेन बाजार, शिवगंज में प्रतिवादी पूनाराम कुम्हार से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (TMP Brand) का नमूना संख्या S-1795 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1355/Act/2022/1349 दिनांक 13.7.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में आज दिनांक 21.7.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है। उसने उक्त मिर्च पाउडर किसी अन्य फर्म से खरीद किया था जिसका बिल गुम हो गया है। अतः कम़ जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री रमेश सैनी, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही (हाल सेवानिवृत) द्वारा दिनांक 04.7.2022 को फर्म भाई मन्नाराम देवाजी, मेन बाजार, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी पूनाराम कुम्हार से खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर (TMT Brand) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-1795 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1355/Act/2022/1349 दिनांक 13.7.2023 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी पूनाराम कुम्हार ने खाद्य पदार्थ मिर्च पाउदड (TMT Brand) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी पूनाराम कुम्हार ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ (TMT Brand) का विक्रय ......लगातार	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:52 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.107/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर ((TMT Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी पूनाराम कुम्हार पुत्र वीराराम कुम्हार, निवासी– चौपावली वास, शिवगंज, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म भाई मन्नाराम देवाजी, मेन बाजार, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी पूनाराम कुम्हार को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 22.8.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

न्यायालय अति॰ जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज॰)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:11:52 IST
Reason: SelfAttested